बाल सुरक्षा नीति

कोई भी संस्था जहां बच्चों को लेकर कार्य किया जा रहा है, वहां पर बाल सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक बाल सुरक्षा नीति का होना आवश्यक है साथ ही साथ संस्था का यह मौलिक कर्तव्य है कि बच्चों को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनायें ताकि उनका सभी प्रकार से सुरक्षा हो सके।

संस्था को यह सुनिश्चत करना चाहिए कि संस्था को सभी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक व अन्य बच्चों पर होने वाले शारीरिक, मानसिक हिंसा, शोषण आदि पर संवेदनशील हो उनके सहयोग हेतु तत्पर रहे।

उपरोक्त को ध्यान में रखकर संस्था द्वारा इस बाल सुरक्षा नीति को बनाया गया है और इस नीति के अनुपालन में संस्था पूरी तरह से कटिबद्ध है।

उद्देश्य–

1. बाल सुरक्षा के मानकों का उच्च स्तर तक संस्था में अभ्यास कराना।
2. बाल सुरक्षा जोखिमों का आंकलन और प्रबन्धन करना।
3. बाल सुरक्षा व बाल अधिकार के बारे में जागरूकता व चेतना जागृत करना।

बच्चा की परिभाषा–

इस नीति के लिए एक बच्चा वह है जो 18 साल की आयु से कम है जैसा कि यह "बाल अधिकार" पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में वर्णित है।

बच्चों के लिए विशेष ध्यान क्यों?

1. बच्चे जिन्दगी जीने की स्थिति में नौजवानों की अपेक्षा नाजुक होते है।
2. इसलिए सरकार और समाज के द्वारा क्रियता–निष्क्रियता से अन्य आयु वर्ग की अपेक्षा अधिक प्रभावित होते है।
3. समाज के व हमारे विचारों में यह होता है कि, बच्चे अपने माता–पिता की सम्पत्ति होते है या वयस्क बनने के लिए होते है या अभी तक वह समाज को सहयोग देने के लिए तैयार नही होते है।
4. बच्चों के पास कोई वोट नहीं होता है, और राजनीतिक प्रतिष्ठा भी नहीं होती हैं, और छोटी सी सम्पत्ति भी नहीं होती, इसलिए अक्सर उनकी आवाज सुनी नही जाती है।
5. बच्चे विशेष रूप से प्रताड़ना और शोषण के शिकार होते हैं।

बाल शोषण क्या है?

बाल शोषण बच्चे या बच्चों का शारीरिक, यौनिक या भावनात्मक दुराचार या उपेक्षा है।

SRISHTI SEVA SANSTHAN S.S.S. MAHARAJGANJ

शारीरिक शोषण–

शारीरिक शोषण, जानबुझ कर/अनजाने में नहीं, शारीरिक अघात पैदा करना है, जो वयस्क के द्वारा बच्चों को शारीरिक अतिक्रमण में सीधे शामिल होना है। चोट के निशान, जले का निशान, टुटी हुयी हड्डी, लंगडा होना जैसी स्थिति खराब तरीके से किये गये व्यवहार के कारण होते है जो शारीरिक शोषण के परिणाम है।

बाल यौन शोषण–

बाल यौन शोषण, बाल शोषण में से ही एक है जिसमें वयस्क या उमर दराज किशोर एक बच्चे का यौनिक शोषण करते है। यौनिक शोषण बच्चों के यौनिक कृत्य में प्रतिभागिता को संकेत करता है जिसकी लक्ष्य शारीरिक सन्तुष्टि अथवा वित्तिय लाभ कमाना है, और इस कृत्य के लिए प्रतिबद्ध होते है।

भावनात्मक शोषण–

भावनात्मक शोषण बच्चों के व्यक्तित्व की बदनामी, कटु अलोचना, लापरवाही, असभ्य एवं अशिष्ट अभिवृति है, बच्चों के विकास का परिणाम जैसा की जोर से चिल्लाना आदि समाज के कमी और मानसिकता का उत्पाद है।

बाल संरक्षण नीति के अन्तर्गत दायित्व–

संस्थान के कार्यकर्ता के लिए–

1. किसी स्थान पर नुकसान के खतरे में पड़े बच्चें के शोषण/फायदा उठाने से सम्बन्धी कृत्य/व्यवहार किसी भी हालत में कभी नहीं करना है।
2. स्टाफ सहित कर्मी, स्वयंसेवी और सलाहकार बच्चों के विकास के लिए उनके शब्द, कर्म और आचरण के माध्यम से अनुकूल वातावरण का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होगें।
3. जिनके घर में बच्चे घरेलू कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते होगें, वह संस्थान में कार्य नहीं करेगा।
4. स्टाफ सहित कर्मी, स्वयंसेवी, सलाहकार एवं विजिटर्स, जब भी उन्हे व्यस्क और बच्चों को उत्तेजक शैली मे काम करते हुए देखे जायें। उनके बीच बातचीत करने के लिए उत्तरदायी होगें।
5. हमारे सभी स्थायी/अस्थायी कार्यकर्ता यह निश्चित कराये की अपने बच्चे को कम से कम 10 तक जरूर पढ़ाये।
6. संस्थान के संसार मे किसी भी कार्यकर्ता के यहां कोई भी कक्षा 10 से पहले ड्राप आउट होता है तो वह केन्द्र से निष्कासित हो सकता है।
7. संस्थान के सभी कार्यकर्ता लिगं चुनाव गर्भपात और शिशुहत्या से कठोरता से वर्जित रहें।
8. स्वास्थ्य कम देख–रेख एवं इलाज के बाद भी एक लड़की अविष्कार और जॉब करने में कम साहसी और छापवाली निश्चित ही नहीं है।

SRISHTI SEVA SANSTHAN S.S.S. MAHARAJGANJ

9. संस्थान के सभी कार्यकर्ता यह ध्यान दे की कानून के अन्तर्गत निर्धारित उम्र से कम उम्र में अपने बच्चों की शादी नहीं करेगें, यह एक संगीन अपराध है।
10. जो कार्यकर्ता अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी और उसे तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जा सकता हैं

कार्यक्रम स्तर पर–

1. जिस वातावरण में बच्चे सम्मान और साहस के साथ अपने बातों और अधिकार पर बातचीत करें एसे स्थाने पर सहयोग दें।
2. यह निश्चित करायें की सभी बच्चे संचार सामग्री में सभ्य, गरीमापूर्ण और आदरणीय हो। और बच्चों को अपराध को आर्कषण/अतिश्योक्ति बनाने के लिए बच्चों के मूल्यो को प्रस्तुत नहीं करेगें।
3. शोषण की उपेक्षा करना, शोषण से बच्चों को सुरक्षा प्रदान कराने और बाल अधिकार को बढ़ावा देने के लिए, बाल अधिकार और पैरवी से सम्बन्धित मुद्दो के साथ प्रभावी रूप से निपटाने के लिए परियोजना में बच्चों के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता को अपना क्षमतवर्धन करना है।
4. बच्चों की शिक्षा की अनिवार्यता को संस्थान के सभी कार्यक्रम जोर देगें।
5. बाल अधिकार पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम करें।
6. परियोजना में यह निश्चित करें की बच्चे के व्यक्तिगत एवं भातिक सूचना से बच्चो के लोकेशन की पहचान कर सकें। संस्थान के वेबसाइट या किसी अन्य संचार माध्यम को बच्चों के सूचना के लिए प्रयोग न करें।